बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय :– राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एन0यू0डी0एम0) के अन्तर्गत सभी नगर निकायों में ई–गवर्नेन्स मॉड्यूल्स के निर्माण, विकास, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव के साथ–साथ दोहरी लेखा प्रणाली को अभिन्न रूप से संधारित करने हेतु आगामी पाँच वर्षों में वस्तु एवं सेवाकर सहित कुल राशि ₹119,90,52,000/– (एक सौ उन्नीस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

सात निश्चय–3 के तहत निश्चय–7 सबका सम्मान–जीवन आसान (ईज ऑफ लिविंग) अंतर्गत राज्य के सभी शहरी नागरिकों को ऑनलाईन सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार का ध्येय है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एन0यू0डी0एम0) के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स मॉड्यूल्स के कार्यान्वयन से राज्य के सभी नगर निकायों में डिजिटल सेवाएं के लिए एकीकृत प्लेटफार्म तैयार किया जा सकेगा, जिससे कतिपय सेवाओं यथा प्रोपर्टी टैक्स एसेसमेंट एवं पेमेंट, ट्रेड लाईसेंस, वाटर एवं सीवरेज कनेक्शन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, पब्लिक ग्रीवान्स रिड्रेसल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एवं अन्य विविध कार्यों में सरलता, पारदर्शिता, दक्षता एवं जबाबदेही के साथ उसमें सुधार हो सकेगा। उक्त के फलस्वरूप सभी नगर निकायों के लिए एक साझा, प्रभावी और किफायती डिजिटल प्लेटफार्म तैयार हो सकेगा, जिससे सेवाओं का मानकीकरण होगा और दोहराव से बचा जा सकेगा।

नगर निकायों में आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने से कार्य में तेजी आयेगी। इसी उद्देश्य से नगर निकायों में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/कर्मियों को डिजिटल क्षमता एवं कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिससे डिजिटल सेवाओं के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य स्तर पर सभी नगर निकायों के लिए सुदृढ़ डाटा इकोसिस्टम स्थापित हो सकेगा। यह सॉफ्टवेयर निर्माण से संबंधित कार्य है। यह योजना राज्य स्तर पर नीति, क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास तथा नगर निकायों के लिए डिजिटल सेवा प्रदान करने से संबंधित है। फलस्वरूप इसके द्वारा

नगर निकायों में एक ही पोर्टल विकसित कर विभिन्न सेवाओं को सभी नागरिकों तक सुगमतापूर्वक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के सभी नगर निकायों में सेवाओं के डिजिटलीकरण हेतु विभिन्न मॉड्यूल्स तैयार किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

मॉड्यूल्स	अवस्थिति
1. प्रोपर्टी टैक्स एसेसमेंट एण्ड पेमेंट	सभी नगर निकाय
2. ट्रेड लाईसेंस इशूअन्स एण्ड पेमेंट	
3. बिल्डिंग प्लान अप्रूवल	
4. पब्लिक ग्रीवन्स रिड्रेसल	
5. एनएमएएम–कम्प्लेन्ट मूनिसिपल एकान्टींग एण्ड फाईनेंस	
6. नोऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) इशूअन्स	
7. मिशलेनियस कलेक्शन	
8. वाटर एण्ड सीवरेज कनेक्शन मैनेजमेंट	
9. एसटेब्लीस्टमेंट मॉड्यूल	
10. लीगल मॉड्यूल	
11. एसेट मैनेजमेंट	
12. एडवरटीजमेंट मॉड्यूल	
13. सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट एण्ड इन्वारमेंटल इसू	
14. फिल्टि मैनेजमेंट	
15. मैटेरियल मैनेजमेंट	
16. सेनिटेशन एण्ड हेल्थ हाईजिंग	
17. लैण्ड एण्ड एस्टेट मैनेजमेंट	
18. डेथ एण्ड बर्थ सर्टिफिकेट	
19. डैसबोर्ड एण्ड एमआईएस	

2. सात निश्चय–3 के तहत निश्चय–7 सबका सम्मान–जीवन आसान (ईज ऑफ लिविंग) के अनुपालन में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एन0यू0डी0एम0) के अन्तर्गत सभी नगर निकायों में ई–गवर्नेन्स मॉड्यूल्स के निर्माण, विकास, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव के साथ–साथ दोहरी लेखा प्रणाली को अभिन्न रूप से संधारित करने हेतु आगामी पाँच वर्षों में वस्तु एवं सेवाकर सहित कुल राशि ₹119,90,52,000/– (एक सौ उन्नीस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार रू०) मात्र है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

विवरणी	लागत
सॉफ्टवेयर कॉस्ट कवरिंग 19 मॉड्यूल्स एण्ड एपीआई इन्टीग्रेशन	27,65,00,000.00
हार्डवेयर कॉस्ट एट यूएलबीज–लेटेस्ट स्पेस्फिक कम्प्यूटर्स विथ पावर बैकप	3,38,75,000.00
टोटल कैपेक्स	**31,03,75,000.00**
ओ एण्ड एम फॉर मेन्टेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स फॉर फाईव ईयर	10,26,00,000.00
टोटल ओपेक्स	**10,26,00,000.00**
ट्रेनिंग एण्ड स्कील डेवलपमेंट फॉर 19 मॉड्यूल्स	6,18,37,100.00
कन्टीजेन्सी (1%)	47,48,121.00
टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट	**47,95,60,221.00**
टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विथ जीएसटी.**-18% (A)**	**56,58,81,061.00**
डबल इन्ट्री एकान्टींग सिस्टम कॉस्ट	
विवरणी	**लागत**
स्टेट लेवल टीम (15 एक्सपर्ट)	12,50,00,000.00
फिल्ड लेवल इम्प्लीमेन्टेशन टीम फॉर हैण्ड हॉल्डिंग ऑफ यूएलबीज एण्ड डबल इन्ट्री एकाउन्टिंग सिस्टम (125 मेन पावर) फॉर फाईव ईयर	41,15,85,366.00
टोटल कॉस्ट एस्क्लूसिव ऑफ जीएसटी	**53,65,85,366.00**
टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विथ जीएसटी**-18% (B)**	**63,31,70,731.88**
ग्रान्ड टोटल कॉस्ट (राशि करोड. में) ***(A+B)***	***119,90,51,792.88***
(एक सौ उन्नीस करोड़ नब्बे लाख इक्यावन हजार सात सौ बानवे रूपये) मात्र	

3. योजना के लिए कुल स्वीकृत राशि ₹119,90,52,000/– (एक सौ उन्नीस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार रू०) मात्र का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत षष्ठ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य मद की रक्षित राशि से किया जायेगा। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि लाख़ में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	वर्षवार व्यय की जाने वाली कुल राशि
1	2026–27	5000.00
2	2027–28	1700.00
3	2028–29	1700.00
4	2028–29	1700.00
5	2029–30	1890.52
	कुल	**11990.52**

4. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एन0यू0डी0एम0) योजना पर होने वाली राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत षष्ठ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य मद की रक्षित राशि से की जायेगी, जिसका बजट शीर्षों से वर्त्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष में की जायेगी :–

''मांग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0013–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48–2217801910013''।

5. अतः उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक–29.04.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–45 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०(NUDM)- 01/2025 4909 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–01/05/26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०(NUDM)- 01/2025 4909 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–01/05/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार / सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०(NUDM)- 01/2025 4909 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–01/05/26

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–29.04.2026 की बैठक में मद संख्या–45 के रूप में स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।